

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्राथमिक पत्र संख्या 226/21

सरकार बनाम इन्द्रा देवी वर्गी चौमूं

अन्तर्गत धारा 131,132 एलओ आरओ एक्ट 1956

2021  
493

निर्णय दिनांक: \_\_\_\_\_

## निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैंप गोविन्दगढ़ में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में साल स्याही से दर्शित भूमि पर गौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है. रिपोर्ट उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ एवं सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ के अवलोकन से गौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0- भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किरम गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मू0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम राजस्व ग्राम	खं.न.	कुल रकबा (हेक्ट0 में)	किरम	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	वि.वि
1.	गोविन्दगढ़	1346	1.41	बारानी	611	
2.		1347/2	0.18	बारानी	78	
3.		1442/1944	0.15	बारानी	21	
4.		2152/1348	2.77	बारानी	647	
5.		1442	1.43	बारानी	448	

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै0मू0 रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार चौमूं को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/21 को कैंप कोर्ट में सुनाया गया।



*[Signature]*  
16/12/21